

MR. CHAIRMAN: I wanted to know that only.

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Sir, I have received no complaint in this regard. If any complaint comes to my notice, I will certainly look into that. (interruptions)

MR. CHAIRMAN: The hon. Members are complaining.

SHRI T.G. VENKATRAMAN: Now, I have taken note of the complaints made by the hon. Members and I would see to it that these complaints are looked into by the Vigilance Department of my Ministry. I will make a thorough enquiry into the whole thing.

MR. CHAIRMAN: Fine. Thank you.

मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि किया जाना।

*382. श्री राघवजी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत देश की औसत सिंचित भूमि के प्रतिशत से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में सिंचित कृषि भूमि का क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वर्ष 1992-93 (अद्यतन) की भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र का प्रतिशत कुल कृषि क्षेत्र का 20.9 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 27.2 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन राज्य योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, सिंचित भूमि बढ़ाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने चुनिंदा चल रही सिंचाई

और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम" शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बाणसागर बहुप्रयोजनी परियोजना और इन्दिरा सागर परियोजना के लिए क्रमशः 31.00 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता स्वीकृत की गई है और ऊपर लिखित परियोजनाओं के लिए वर्ष 1996-97 के लिए पहली किस्त के रूप में क्रमशः 15.50 करोड़ और 25.00 करोड़ रुपए पहले ही निर्वुक्त किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में शियोनाथ व्यपवर्तन नामक एक और मध्यम परियोजना को भी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 1.75 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता के लिए अभिज्ञात किया गया है। तथापि, इस परियोजना के लिए निधियां, मध्य प्रदेश सरकार से उतनी ही (मैचिंग) निधियों के प्रावधान संबंधी वचनबद्धता प्राप्त होने के बाद निर्वुक्त की जाएंगी।

श्री राघवजी: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश का सिंचाई का प्रतिशत औसत से काफी कम है। राष्ट्रीय औसत 27.2 प्रतिशत का है जब कि मध्य प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत केवल 20.9 प्रतिशत है। सब इस बात को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बड़ी उपजाऊ जमीन है और वह कृषि प्रधान प्रदेश है। मध्य प्रदेश में पूरे देश का 80 प्रतिशत सोयाबीन होता है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और गेहूं में पंजाब के बाद दूसरा नम्बर मध्य प्रदेश का आता है। इसके बावजूद भी सिंचाई योजनाओं की जो उपेक्षा केन्द्र सरकार द्वारा हो रही है, उसका नतीजा यह हो रहा है कि आज मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में लोग भूख से मर रहे हैं और बुंदेलखंड में अनाज की दुकानों को लूटने के लिए भूखे लोग मजबूर हो गये हैं। यह मध्य प्रदेश की स्थिति कर दी गयी है। अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह राज्य की योजना है, राज्य का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार का यह दायित्व जरूर है कि वह यह देखे कि सभी राज्यों का संतुलित विकास हो। महोदय मैं यह कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1996-97 में आपने जो बाण सागर और इंदिरा सागर के लिए राशि दी है उससे एक एकड़ भी कृषि की सिंचाई में वृद्धि होने वाली नहीं है क्योंकि वह योजनाएं इतनी राशि में पूरी नहीं होगी। इसलिए मेरा प्रथम प्रश्न है कि क्या आप वर्ष 1997-98 में अतिरिक्त सहायता राशि मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के लिए प्रदान करेंगे और अगर करेंगे तो उसका क्या ब्यौरा है? आप कितनी राशि प्रदान करेंगे और कितनी योजनाओं के लिए वह राशि प्रदान करेंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, नौवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था के लिए भी प्रावधान किया जाएगा, इस बात का प्रयास हमारा मंत्रालय कर रहा है। रही बात मध्य प्रदेश की सिंचाई के मामले में पिछड़पन की, तो राज्य सरकार ने जब कभी भी जो कोई भी सिफारिश सिंचाई के लिए केन्द्र सरकार के पास दी है, उसकी स्वीकृति केन्द्र सरकार की तरफ से हुई है।

मध्य प्रदेश की स्थिति जमीन की बनावट के हिसाब से सिंचाई के मामले में और प्रदेशों के मुकाबले थोड़ी धीमी है। इसलिए मध्य प्रदेश को भी इसमें दिक्कत पड़ती है और इस मुद्दे पर उदासीनता है।

श्री राघवजी: माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि 9 वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया जायेगा। अभी आपने जो कुछ भी वर्ष 96-97 के लिए घोषित किया वह केवल कर्ज की राशि घोषित की है। उसमें सहायता की राशि का एक पैसा भी नहीं है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की अनेक सिंचाई योजनाएं आपके पास लम्बित पड़ी हुई हैं लेकिन उनकी यहाँ से स्वीकृति प्रदान नहीं हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश कि कितनी सिंचाई योजनाएं मध्यम श्रेणी की केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं, वे लम्बित क्यों हैं और कब तक स्वीकृति कर दी जायेगी?

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, सच तो यह है कि जो सिंचाई योजनाएं तैयार हो गई हैं और जिनसे खेती की सिंचाई होनी है, जो सिंचाई की क्षमता है उससे आधे पर भी खेती की सिंचाई नहीं होती है। इस समय आन गोइंग प्रोजेक्ट्स 54 के करीब हैं, मीडियम, मेजर, और चार और हैं अभी वे भी पूरे नहीं हुए हैं। जब सरकार की यह नीति है कि कोई भी राज्य सरकार जो परियोजनाएं तैयार करे, उनको जब तक पूरा न करे तब तक नई योजनाओं को वह अपने बजट में नहीं लाती है। इसलिए इकोनोमिक और टेक्निकल ग्राउन्ड से वह लम्बित है, विचाराधीन है।

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा: सभापति महोदय, मंत्री जी क्या यह बतायेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर सिंचित भूमि का रकबा प्रतिवर्ष किस रफ्तार से बढ़ा है और दूसरा यह है कि जो सिंचाई के परम्परागत साधन हैं जैसे नहरें आदि, इनके द्वारा सिंचाई मध्य प्रदेश के अंदर होती थी, उसका एरिया बढ़ा है या घटा है? जो माइनर इरिगेशन ट्यूबवैल्स और दूसरे वाटर रिजर्वॉयर्स आदि जो नये साधन दिये गये हैं उनसे कितना सिंचित रकबा मध्य

प्रदेश के अंदर बढ़ाया है, ताकि मालूम हो कि आजादी के बाद किस दर से मध्य प्रदेश के अंदर सिंचित भूमि का रकबा बढ़ा है?

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, सिंचाई की दर के बारे में 51—56 तक मध्य प्रदेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि क्या व्यवस्था हो रही है। आमतौर से राज्य सरकारें रिपोर्ट देती हैं उसी के आधार पर केन्द्र सरकार अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। 80 और 85 के बीच में शुरू होता है जब कि यह आया है कि मध्य प्रदेश में करीब एक करोड़ पोर्टेशियल क्रिएटेड और पोर्टेशियल यूटिलाइज जो 6 करोड़ था इन्होंने सिंचित किया, जिसमें एक करोड़ ये सौच नहीं पाये। 85 और 90 के बीच में 9 करोड़ सिंचाई इन्होंने की और एक करोड़ नहीं कर पाये। 90-92 तक केवल एक करोड़ की सिंचाई की और एक करोड़ नहीं कर पाये। इस समय लगता है कि 1.1 मध्य प्रदेश सिंचाई कर पायेगा और 2 यानी 20 लाख के करीब नहीं कर पायेगा।

श्री रामगोपाल यादव: श्रीमान्, यह सच है कि सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना के तहत निर्मित की जाती हैं, उसके साथ चलाई जाती हैं, लागू की जाती हैं। लेकिन देश में बहुत बड़े पैमाने पर असिंचित भूमि को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने एक्सेलेरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को टेकअप किया है। यद्यपि यह सवाल मध्य प्रदेश से संबंधित है लेकिन माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और उनके दल ने पिछली बार अपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह कहा था कि हम अगर एक निश्चित समय तक सत्ता में रहे तो अधिकतम भूमि को सिंचित करने का प्रयास करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह यह आश्वासन देंगे कि नौवीं योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, जहां आज भी बड़े पैमाने पर असिंचित भूमि है और खेती करने योग्य जमीन है और उसे अगर पानी मिल जाए तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है वहां नवीन योजना के तहत एक नई सिंचाई की परियोजना स्वीकृत करने की कोशिश करेंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जितनी खेती लायक जमीन इस देश में है उसका एक तिहाई से ज्यादा भाग सींचा नहीं जाता। इसको दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। यह 4-5 महीने की सरकार है और यह इस दिशा में कितना आगे बढ़ पाएगी, मैं नहीं जानता। लेकिन नौवीं पंचवर्षीय योजना में त्रेती पर विशेष जोर दिया जाएगा। नई सरकार ने

इटीप्रेटेड सिंचाई योजना के नाम पर 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस रकम को और आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर भी अच्छा रहेगा।

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: मान्यवर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच यमुना और चम्बल पर सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बहुत पहले सर्वेक्षण हो चुका है। माननीय रक्षा मंत्री जी जिस जनपद से आते हैं उस जनपद पर भी एक सिंचाई योजना का सर्वेक्षण बहुत पहले हो चुका है। इसी प्रकार बुंदेलखंड में भी सर्वेक्षण हो चुका है। ... (व्यवधान) ... माननीय जल संसाधन मंत्री जी जहां से आते हैं वहां भी सर्वेक्षण हो चुका है।

श्री मुलायम सिंह यादव: उनका कौन सा जिला है?

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: उनका जिला तो बलिया है लेकिन रहते इलाहाबाद में हैं। मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बुंदेलखंड का भी सर्वेक्षण बहुत पहले हो चुका है और इटावा में भी बहुत पहले यमुना और चम्बल पर हो चुका है। परन्तु यह दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की योजना है, इसलिए बिना केन्द्र के हस्तक्षेप के या बिना केन्द्र की मध्यस्थता के इन योजनाओं की पूर्ति नहीं दिखाई पड़ती है। 20—25 वर्ष पहले इसका सर्वेक्षण हो चुका है। तो क्या मंत्री जी इस तरह का कोई आश्वासन देंगे कि ये दोनों परियोजनायें जो चम्बल और यमुना पर हैं, इनको पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार दोनों राज्यों में सहमति बिठाकर इन्हें पूरा करने का प्रयत्न करेगी?

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, मूल प्रश्न मध्य प्रदेश की सिंचाई योजनाओं को लेकर है.....

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: यह उसी से संबंधित है।....

श्री जनेश्वर मिश्र: अगर मूल प्रश्न से आगे बात होती है तो उसके लिए मुझे अलग से सूचना की जरूरत है।

श्री राजनाथ सिंह सूर्य: यह उसी से संबंधित प्रश्न है।

श्री लक्ष्मीराम अप्रवाल: सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जैसे मूल प्रश्न में मध्य प्रदेश के बारे में है कि वहां पर बहुत सा एरिया असिंचित है। वहां पर 20.9 का एवरेज आज सिंचाई का

है। इसमें केवल 8.9 प्रतिशत सिंचाई का एरिया ट्राइबल, आदिवासी इलाकों, सरगुजा, रायगढ़ आदि जिलों में है। यहां पर बांगों एक बड़ी परियोजना है। इसका बांध बनकर तैयार हो गया है लेकिन उसकी दायीं नहर पैसे के अभाव में नहीं बन पा रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस योजना को सहायता देकर इसे जल्दी चालू करवाने में मदद करेंगे? इस प्रकार से बहुत सी योजनायें जो पेंडिंग पड़ी हैं, इनमें रायगढ़ की केलो परियोजना भी है जो पिछले 17-18 सालों से केन्द्रीय सरकार के विभिन्न-विभिन्न विभागों में पड़ी हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस योजना के बारे में मंत्री जी विचार करके मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा बढ़ाने का आश्वासन देंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, जहां तक आदिवासी क्षेत्रों की सिंचाई का सवाल है, आम तौर से जब कोई मेजर या मीडियम प्रोजेक्ट बनती है तो उस क्षेत्र में कौन-कौन बसता है, कहां-कहां बसता है चूंकि रकबा ज्यादा होता है, इसलिए इन लाइन पर तय नहीं किया जाता है। जहां तक बांगों और दूसरी प्रोजेक्ट्स के बारे में माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है, राज्य सरकार से उनके बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी वहां से उनको स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

गांवों में डाकघर खोला जाना

*383. **श्री रामजीलाल:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितने गांव हैं और कितने गांवों में डाकघर है;

(ख) गांवों में डाकघर खोलने का मापदंड क्या है, और

(ग) हरियाणा में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें डाकघर नहीं हैं और सरकार ने ऐसे प्रत्येक गांव में डाकघर खोलने हेतु क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार रखती है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) देश में गांवों की कुल संख्या 6,08,752 है। इनमें से 1,34,179 गांवों में डाकघर खोले गए हैं।

(ख) गांवों में डाकघर खोलने के मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखाए)

(ग) हरियाणा में बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या 4479 है। डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के